"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2009—कार्तिक 4, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-15/2009/वाक/पांच (39).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2009/वाक/पांच (25) दिनांक 27-05-2009 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक 3 के सामने कालम (2) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाय :—

"डेकोरेटिव लेमिनेट्स, जो सेन्ट्रल एक्साईज टेरिफ एक्ट, 1985 के टेरिफ आयटम 4823 90 19 में दर्ज है."

2. यह संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावशील माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2009

क्रमांक एफ 10-15/2009/वाक/पांच (39).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2009/वाक/पांच (39), दिनांक 26 अक्टूबर 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 26th October 2009

NOTIFICATION

No. F 10-15/2009/CT/V (39).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the notification No. F 10-15/2009/CT/V (25) dated 27-05-2009 :—

AMENDMENT

In Schedule to the said notification, for present entry in column (2) against S. No. 3, the following entry shall be substituted :—

"Decorative laminates, as specified in Tariff Item 4823 90 19 of the Central Excise Tariff Act, 1985."

2. This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2009.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.